बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
संकल्प

विषयः—बिहार पुलिस मुख्यालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों/इकाईयों में पदस्थापित अनुचर (चतुर्थ वर्ग परिचारी)/ लिपिक/सहायक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं राज्य से बाहर चिकित्सा के उपरान्त संबंधित संस्थान की अनुशंसा पर प्रत्येक चेकअप की अनुमति तथा बाध्यकारी परिस्थिति में कराए गए ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति, जो वर्त्तमान मे सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग में निहित है, को पुलिस महानिदेशक को प्रत्यायोजित करने के सम्बन्ध में।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0—946(14), दिनांक—14.08.2015 द्वारा राज्य के सरकारी कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शन/दिशा निर्देश दिया गया है।

2. उक्त विभागीय संकल्प के कंडिका--5 की अनुसार राज्य के बाहर बिना पुर्वानुमति के बाध्यकारी परिस्थिति में कराये गये ईलाज के घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव में निहित है।

3. उपर्युक्त वर्णित संकल्प की कंडिका—6(ii) एवं (iii) के प्रावधानानुसार रूपये पचास हजार से ऊपर के चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति की शक्ति भी, निर्धारित स्तरों की अनुशंसा/सहमति के उपरांत विभाग की सचिव/प्रधान सचिव में निहित है। उक्त संकल्प की कंडिका 6(V) के प्रावधानानुसार चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति की शक्ति संबंधित प्रशासी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव में निहित है।

4. स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या—536(14),दिनांक—11.04.2017 द्वारा बिहार पुलिस के सिपाही से पुलिस निरीक्षक कोटि तक के कर्मियों/पदाधिकारियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के राज्य से बाहर चिकित्सा के उपरान्त संबंधित संस्थान की अनुशंसा पर प्रत्येक चेकअप की अनुमति तथा बाध्यकारी परिस्थिति में कराए गए ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति, जो वर्त्तमान मे सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग में निहित है, को पुलिस महानिदेशक, बिहार, को प्रत्यायोजित की गई है।

5. उक्त क्रम में गृह विभाग (आरक्षी शाखा) द्वारा अनुरोध किया गया है कि स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या—536(14), दिनांक—11.04.2017 के तर्ज पर बिहार पुलिस मुख्यालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों/इकाईयों में पदस्थापित अनुचर (चतुर्थ वर्ग परिचारी)/लिपिक/सहायक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं राज्य से बाहर चिकित्सा के उपरान्त संबंधित संस्थान की अनुशंसा पर प्रत्येक चेकअप की अनुमति तथा बाध्यकारी परिस्थिति में कराए गए ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति, जो वर्त्तमान मे सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग में निहित है, को पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्रत्यायोजित की जाये ताकि उनके चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावा का ससमय निष्पादन त्वरित ढंग से किया जा सके।

6. वर्णित स्थिति में बिहार पुलिस मुख्यालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों/इकाईयों में पदस्थापित अनुचर (चतुर्थ वर्ग परिचारी)/लिपिक/सहायक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं राज्य से बाहर चिकित्सा के उपरान्त संबंधित संस्थान की अनुशंसा पर प्रत्येक चेकअप की अनुमति तथा बाध्यकारी परिस्थिति में कराए गए ईलाज की घटनोत्तर स्वीकृति की शक्ति, जो वर्त्तमान मे सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग में निहित है, को पुलिस महानिदेशक, बिहार को प्रत्यायोजित की जाती है।

7. पूर्व निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

8. यह संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगी।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/—
(राम ईश्वर)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक —14/सं0 सं0—14/विविध—09/2015, 1694(14) **/स्वा०, पटना, दिनांक—** 01.08.2022

प्रतिलिपि—प्रभारी पदाधिकारी, ई0गजट, वित्त विभाग, बिहार/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय एवं प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—महालेखाकार (ले0एवं ह0), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सभी जिला, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— मुख्य सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, सभी विभाग/सचिव, बिहार विधान परिषद्/बिहार विधान सभा/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/अधीक्षक, सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/प्राचार्य सभी मेडिकल कॉलेज/सभी सिविल सर्जन/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/आई0जी0आई0सी0, पटना/निदेशक/अधीक्षक, सभी सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

01/08/22

सरकार के अपर सचिव।